तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 172/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण जाति राजपूत निवासी 79, हनुवन्त बी सेक्टर, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.06.19 में उसके द्वारा (1) गांव झंवर के नामान्तरकरण संख्या 590, 633, 635 व अन्य 4 बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर व तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी एवं उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी एवं उप तहसीलदार झंवर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी एवं उप तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2019.11.09 11:03:46 IST
Reason: SelfAttested